न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 16/2019

1—गुमानाराम पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी जसराणा तहसील कुचामन सिटी जिला नागौर राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1—तहसीलदार कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता—

1—श्री मो0 अली शेरानी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार कुचामन सिटी मु0सं0 130/2018

बअनुवान सरकार जरिये हल्का पटवारी, रूपपुरा बनाम गुमाना राम अन्तर्गत धारा 91 भू0राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 15.02.2019

निर्णय

दिनांक:08.02.21

{1} — मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रूपपुरा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध कुचामन सिटी को एक रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी ने मौजा ग्राम जसराणा के खसरा नम्बर 516 किस्म गै0मु0 रास्ता रकबा 0.08हैक्टेयर पर डोल लगाकर खेत में मिला लिया हैं। अप्रार्थी को अनाधिकृत रूप से गै0मु0रास्ते की भूमि पर कब्जा कर अतिक्रमण कर लेने से अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है। इस पर तहसीलदार कुचामन सिटी ने पटवारी हल्का रूपपुरा व भू0अ0नि0 कुचामन सिटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 18.01.2019 को पत्रावली तलब रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी को जरिये सम्मन अन्तर्गत 91 एल0आर.एक्ट 1956

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

के तहत तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल स्वयं अप्रार्थी उपस्थित हुआ तथा जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली पर उपलब्ध है तथा जिसके हस्ताक्षर विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अंकित है।' अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.02.2019 को निर्णय कर अप्रार्थी को खसरा नम्बर 516 रकबा 0.08 हैक्टेयर, किस्म गै0 मु0 रास्ता पर अतिक्रमी घोषित कर उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये तथा वार्षिक लगान 0.40 रूपये के 50 गुणा से रूपये 20/– अक्षरे बीस रूपये मात्र जुर्माना आरोपित किया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 01.04.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार कुचामन सिटी के प्रकरण संख्या 130/18 सरकार बनाम गुमानाराम जाति जाट में निर्णय दिनांक : 15.02.2019 की सत्यापित फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम दिनांक 18.01.2019 से 15.02.2019 की सत्यापित प्रति, पटवारी हल्का रूपपुरा की मौका रिपोर्ट, अप्रार्थी गुमानाराम द्वारा कार्यवाही स्थगन हेतु दिया प्रार्थना पत्र की प्रमाणित फोटाप्रति,न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी द्वा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 01व 02 सी0पी0सी0 के निर्णय की प्रति पेश की है।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) – यह है कि योग्य न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है,निर्णय अधीन अपील निरस्त की जावें।

{2}(3) – यह है अधीनस्त न्यायालय ने अप्रार्थी को किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत का अवसर भी नही दिया गया, जिससे भी यह निर्णय अधीन अपील निरस्त की जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थी का न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया, ना ही पटवारी हल्का द्वारा पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष बनाई तथा ना ही अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं । इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(5) –यह है कि अपीलार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 504 रकबा 1.26 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 517 रकबा 0.67 हैक्टेयर दोनों भूमियां पैतृक कृषि भूमि रही है, जो पूर्व में अपीलान्ट के पिता धन्नाराम की खातेदारी की रही है तथा उपरोक्त कृषि भूमियां अपीलान्ट व उसके परिवारजन काबिज काश्त है। जबकि खसरा नम्बर 504 व 517 सरहद जसराना के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 516 गै0मु0 रास्ता सदैव से रहा है तथा आज भी मौके पर रास्ता चालू है। अपीलान्ट ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि को तारबन्दी/डोल लगाकर सीमाबंदी कर रखी है तथा उपरोक्त कृषि भूमि के पास से पूर्वी दिशा की ओर नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी मौके पर आज भी मौजूद है।

{2}(6) –यह है कि उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 504 व 517 के पूर्वी दिशा की ओर पास पास होकर वर्षो यानि रियासत काल से समय से जो रास्ता आज मौके पर चालू है, वही रास्ता सदैव से रहा है तथा वर्तमान में भी आवागमन बिना किसी रोक टोक व बाधा के निर्विवाद रूप से चालू हैं। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से भी अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(7) – यह है कि अपीलान्ट के खिलाफ राजनैतिक द्वैषता पूर्वक यह कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 516 गै0मु0 रास्ता की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। रास्ता आज भी चालू हैं जिससे उपरोक्त कार्यवाही अपीलान्ट के विरूद्ध ड्रोप किया जाना न्याय हित में है।

{2}(8) – यह है कि उपरोक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि को लेकर सिविल न्यायालय कुचामन सिटी में वाद लम्बित चल रहा है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उसकी खातेदारी की भूमि से बेखल करने का आदेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

जारी कर दिया है, जो कि विधि विरूद्ध है, जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

{3} – बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का रूपपुरा की रिपोर्ट व भू0अ0निरीक्षक कुचामन सिटी की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ग्राम जसराणा खसरा नम्बर 516 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर गै0 मु0 रास्ता भूमि में से 0.08 हैक्टेयर भूमि पर डोल लगाकर खेत में मिला लिया है, जिससे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखली तथा वार्षिक लगान दर 0.40 रूपये का 50 गुणा 20/– अक्षरे बीस रूपये जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध नोटिस जारी किया वो विधिवतरूप तामिल हुआ है, तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.03.2019 पर स्वयं अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही बिना जॉच के विधि विरूद्ध की गयी है तथा साक्ष्य हेतु समय नहीं दिया गया। जबकी विचारण न्यायालय कि पत्रावली पर यह है कि अधिनस्थ ने जवाब हेतु समय दिया गया तथा स्वय अप्रार्थी उपस्थित होकर जवाब पेश किया परन्तु जवाब के साथ अप्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित होता हो कि मुतनाजा भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर देकर विधि अनुरूप निर्णय किया गया है। तथा पटवारी हल्का रूपपुरा व भू–अभिलेख कुचामन सिटी की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध रिर्कोड से साबित होता है कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर अतिक्रमण है।

प्रस्ततु प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0म0 रास्ता की भूमि जो राजकीय भूमि है, पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। इस

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

:::: आ दे श ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.02.2019 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांकः 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)